

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-भू प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल
क्रमांक/एफ-3/89/2018/10-11/8/1751
प्रति,

भोपाल, दिनांक 08-06-2020

उप वन महानिदेशक, (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र
केन्द्रीय पर्यावरण भवन, ई-5, लिंक रोड नं. 3
रविशंकर नगर भोपाल-462016

विषय:- जिला धार के अंतर्गत कुण्डिया नाला लघु तालाब परियोजना के निर्माण हेतु 17.178 हेक्टेयर वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्र. 6-MPC 074/2018-BHO/098 दिनांक 31/01/2019

-0-

विषयांतर्गत में भारत सरकार, के उक्त संदर्भित पत्र से आर.ई.सी. की बैठक की कार्यवाही का विवरण जारी किया गया है। जिसमें जिला धार के अंतर्गत कुण्डिया नाला लघु तालाब परियोजना के निर्माण हेतु 17.178 हेक्टेयर वन भूमि व्यवर्तन की स्वीकृति के प्रस्ताव पर 02 बिन्दुओं की जानकारी चाही गयी थी। आवेदक विभाग से जानकारी प्राप्त कर निम्नानुसार संलग्न है :-

1. State Govt. shall relook into the CA area and shall submit necessary clarification and after an alternative site for CA.

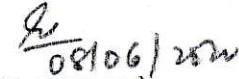
प्रस्ताव में प्रभावित वन भूमि के बदले प्राप्त गैर वन भूमि ग्राम ईमली पाड़ा स्थित शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 44/1/1 क्षेत्रफल 25.122 हेक्टेयर में से 17.178 हेक्टेयर कलेक्टर, धार के आदेश दिनांक 27.11.2019 से हस्तांतरित की गई है। गैर वन भूमि का मौका पंचनामा, कब्जा रसीद एवं कलेक्टर, धार के आदेश पत्र दिनांक 27.11.2019 की छायाप्रति, सर्वे ऑफ इंडिया की टोपोशीट एवं जियो रिफरेंस मैप वेब पोर्टल पर अपलोड किये जाकर संलग्न है। गैर वन भूमि में वनीकरण हेतु 11 वर्षीय योजना राशि रु. 54,03,836/- की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तकनीकी स्वीकृति सहित संलग्न है।

2. The KML file of proposed diversion showing details land breakup up in accordance to observation of DSS shall be submitted.

प्रस्ताव में मात्र 17.178 हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित हो रही है। प्रस्ताव में किसी प्रकार की राजस्व भूमि प्रभावित नहीं हो रही है। आवेदक द्वारा प्रस्ताव के भाग-1 में 1.639 हेक्टेयर गैर वन भूमि प्रभावित होने बाबत जानकारी त्रुटिपूर्ण अपलोड की है। प्रस्ताव में प्रभावित वन भूमि 17.178 हेक्टेयर के बीच में ही तीन किसानों को राजस्व विभाग द्वारा 1.639 हेक्टेयर के पट्टे दिये हुये हैं। इस संबंध में कार्यालयीन पत्र दिनांक 31.12.2018 के बिन्दु क्रमांक-1 से भी स्थिति स्पष्ट की गई है।

अतः प्रकरण में भारत सरकार से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त कर अवगत कराने का अनुरोध है।

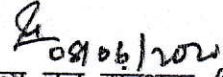
संलग्न:- उपरोक्तानुसार।


(सुनील अग्रवाल)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक/एफ-3/89/2018/10-11/8/1752 भोपाल, दिनांक 08-06-2020
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, 1250, तुलसी नगर, भोपाल, मध्यप्रदेश।
 2. आयुक्त कमाण्ड क्षेत्र विकास, जल संसाधन विभाग, विश्वेश्वरैया भवन, कोलार तिराहे के पास, एम.ए.सी.टी. रोड, भोपाल मध्यप्रदेश।
 3. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) इन्दौर वृत्त इन्दौर, मध्यप्रदेश।
 4. वनमंडलाधिकारी, (सामान्य) वनमंडल धार, मध्यप्रदेश।
 5. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मनावर जिला धार, मध्यप्रदेश
- की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल